



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र
उत्तर प्रदेश वन निगम,
संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज - 211001

दूरभाष 0532-2427536
ई-मेल-rmall@upfc.in



पत्रांक 2280 / तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री
सेवा में,

ई-मेल

/दिनांक 11/2/2025

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक / विक्रय अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुद्धी / झाँसी / वाराणसी।

विषय- वर्ष 2025 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु प्रस्तावित ई-निविदा दिनांक-17/18/19.02.2025 की बिक्री सूची एवं शर्तों का प्रेषण।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक- 1913/ते0प0 अग्रिम बिक्री, दिनांक- 03.12.2024 महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक-17/18/19.02.2025 को आमंत्रित वर्ष 2025 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु आन-लाईन ई-निविदा की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तों एक प्रति में एतदसह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त की प्रति आपको ई-मेल से भी भेज दी गयी है। तथा हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक- 2280 / तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
उपर्युक्त बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों आपको ई-मेल से भी भेज दिया गया है-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद (सहारनपुर)
6. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मीरजापुर, प्रयागराज, रेनुकूट, झाँसी एवं कर्वी।
7. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) अनुभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि हरे तेन्दू पत्ता के ई-निविदा हेतु बिक्रय सूची, शर्तों को आनलाइन अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज
वर्ष-2025 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु बिक्री सूची का प्रेषण

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2025

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-A-18/25	सोनभद्र	रेनुकूट	म्योरपुर	सागोबाँध	फुरीपान	100.00
2						कोगा	200.00
3						सागोबाँध	100.00
योग-						3	400.00
कुल योग-						3	400.00
4	R-A-27/25	सोनभद्र	रेनुकूट	बभनी-1	करमघट्टी	मगरमाड़	100.00
5						झझरिमन्दा	100.00
6						अम्माडाँड़	100.00
7						किरी माटी	100.00
योग-						4	400.00
8	R-A-28/25				चकबदरी	चैनपुर	200.00
9						मुनगाडीह	100.00
10						तिरकटवा	100.00
योग-						3	400.00
11	R-A-29/25				मचबन्धवा	बगलतवा	100.00
12						चकसानी	100.00
13						मचबन्धवा	100.00
14						सरईदहा	100.00
15						धनवार	100.00
16						झनकपुर	100.00
17						सागसोती	100.00
18						तेन्दूअल	100.00
योग-						8	800.00
19	R-A-34/25				बैना	सरपोकाडंडी	200.00
20						बहेराडोल	200.00
21						बैना	100.00
योग-						3	500.00
कुल योग-						18	2100.00
22	R-A-35/25	सोनभद्र	रेनुकूट	बभनी-2	सुन्दरी	धूमा	400.00
योग-						1	400.00

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फंड का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	R-A-36/25				भीसुर	भीसुर	200.00
24						रन्दहटोला	200.00
					योग-	2	400.00
					कुल योग-	3	800.00
25	R-A-37/25	सोनभद्र	रेनुकूट	जरहा	मजीठ	महुआ दोहर-1	200.00
26						महुआ दोहर-2	100.00
27						मझौली	200.00
28						नवाटोला	100.00
29						शीशटोला	100.00
					योग-	5	700.00
30	R-A-39/25				महुली-ब	विछियारी-1	1000.00
31						विछियारी-2	500.00
32						विछियारी-3	500.00
					योग-	3	2000.00
33	R-A-40/25				जरहा पूर्वी-अ	दनुआ	200.00
34						रजमिलान	200.00
35						हड़वरिया	200.00
					योग-	3	600.00
36	R-A-41/25				जरहा पूर्वी ब	महुली	300.00
37						लीलादेव	300.00
					योग-	2	600.00
38	R-A-42/25				इंजानी	बकरिहवा	200.00
39						नवाटोला	200.00
					योग-	2	400.00
40	R-A-43/25				जरहा पश्चिमी	चेतवा	200.00
41						जहरीडाढ़	200.00
					योग-	2	400.00
					कुल योग-	17	4700.00
42	R-A-62/25	सोनभद्र	रेनुकूट	विण्ढमगंज	धूमा अ	सुखड़ा	800.00
					योग-	1	800.00
					कुल योग-	1	800.00

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
43	R-A-67/25	सोनभद्र	रेनुकूट	बघाडू	तुरीडीह	जमतीडांड-1	100.00
44						जमतीडांड-2	100.00
45						फटरिया	100.00
46						पूजयाचट्ट टान	100.00
47						सुन्दरखाड़ी	100.00
योग-						5	500.00
48	R-A-68/25				गौरसिंहा	गौरसिंहा-1	300.00
49						गौरसिंहा-2	300.00
50						विठ्ठलदामर	100.00
51						परसाही टोला	100.00
योग-						4	800.00
कुल योग-						9	1300.00
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग का कुल योग					इकाई 16	फड़ 51	10100.00

मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2025

क्रम सं०	लाट सं०/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	M-A-4/2025	चन्दौली	काशी वन्य जीव	चन्द्रप्रभा	04- शिकारगंज	नेवाजगंज	100.000	
						शिकारगंज	150.000	
						पुरानाठीह	50.000	
						बोदलपुर	50.000	
						चिलरहा	50.000	
योग-5						400.000		
सेक्सन का योग 01 इकाई						कुल योग-5	400.000	
2	M-A-12/2025	चन्दौली			मझगाई	01-हरदहवा	50.000	
						मझगावा	50.000	
						बसौली	100.000	
						जरहर	100.000	
योग-4						300.000		
सेक्सन का योग 01 इकाई						कुल योग-04	300.000	
3	M-A-29/2025	मिर्जापुर	कैमूर वन्य जीव		घोरावल	01-पुरना	गुरहवा	150.000
							नौगढवा	150.000
योग-2						300.000		

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुल योग-2	300.000
4	M-A-33/2025	मिर्जापुर	मीरजापुर	चुनार	01-सुकृत/ खोराडीह	पलबाई/ कडिया/ रमसगरा	150.000
						खोरिया/ वनसत्ती/ लतरिह	150.000
						योग-2	300.000
5	M-A-34/2025			सुकृत	02-मधुपुर	तालर/ चन्दनपुर	100.000
						गुलरहवा/ जरलहवा	100.000
						नागनाथ हरैया/	100.000
						योग-03	300.000
				सेक्सन का योग 02 इकाई		कुल योग-5	600.000
6	M-A-36/2025			पटेहरा	02-अतरैला	सिरसी	150.000
						पटेहरा	150.000
						योग-2	300.000
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुल योग-2	300.000
7	M-A-37/2025	मिर्जापुर		झमण्डगंज	01-सोनगढा	राजपुर	50.000
						विरहिया पट्टी	50.000
						नौडिहवा	50.000
						देई ए	50.000
						डिभोर	50.000
						देई बी	50.000
						खटखरिया	50.000
						पवारी	100.000
						भक्तवा	50.000
						योग-9	500.000
8	M-A-39/2025			झमण्डगंज	03-भैसोड	भैसोड 1	150.000
						भैसोड 2	150.000
						योग-2	300.000
9	M-A-40/2025			झमण्डगंज	04-झमण्डगंज	महुगढी	50.000
						चन्द्रगढ	50.000
						भैसोडजेर	100.000
						झमण्डगंज	100.000
						योग-4	300.000
10	M-A-41/2025			झमण्डगंज	05-बबुरा	खोदाईपुर	50.000
						सगहा	50.000
						किरका	50.000
						पथरहवा	50.000
						मुंडेल	50.000
						मडवा 1	50.000
						गडबडा	50.000
						मडवा 2	50.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
						योग-8	400.000
					सेक्सन का योग 04 इकाई	कुल योग-23	1500.000
					सेक्सन में कुल इकाई 10	फड़ का कुल योग-41	3400.000
		मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग का कुल योग					

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2025

क्र०सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दू पत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा० बो० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA-3/2025	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर प्रथम	1-छापर	50.000
						2-हरदौन	50.000
						3-गाढ़ा	100.000
						4-झलमल	50.000
						5-मझगवाँ	50.000
						फड़ों की संख्या-5	300.000
2	PA-4/2025	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर द्वितीय	1-भवानीपुर	150.000
						2-हण्डिया	175.000
						3-नेवरहवा	175.000
						4-तलरी	150.000
						5-बसहा	100.000
						फड़ों की संख्या-5	750.000
		प्रयागराज लौगिंग प्रभाग का कुल योग-			इकाई का कुल योग-02	फड़ का कुल योग-10	1050.000
					प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग-		14550.00

वर्ष 2025 में हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु बिक्री सूची का प्रेषण
झांसी लौगिंग प्रभाग

तेन्दू पत्ता संग्रहण कार्य वर्ष-2025 हेतु सेक्शन/इकाई/फड़वार संग्रहण लक्ष्य

क्र० सं०	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	ते०प० बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L-A 01/2025-26	झांसी	झांसी	झांसी	बार	बाजना	50.000
						बघौली	50.000
		उरई	उरई	उरई		बार	100.000
						बम्हौरी खडैत	100.000
		ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर		माताटीला	50.000
						जखौरा	50.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
				ललितपुर		गैदोरा	50.000
						दैलवारा	50.000
						बिरौरा	50.000
						कुल योग-09	550.000
2	L-A 02/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	जाखलौन अ	100.000
						जाखलौन ब	100.000
						गनेशपुरा अ	100.000
						गनेशपुरा ब	50.000
						सगोरिया	100.000
						बंट	150.000
						योग-06	600.000
3	L-A 03/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	सैपुरा	सैपुरा	100.000
						रमपुरा	100.000
						जमुनियां	150.000
						योग-03	350.000
						कुल योग-09	950.000
4	L-A 04/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	पाली	पाली अ	150.000
						पाली ब	50.000
						सिमरधा	50.000
						पिपरियाजागीर	200.000
						योग-04	450.000
5	L-A 05/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	बालाबेहट	बालाबेहट	100.000
						मुडारी	50.000
						बांसपुर	50.000
						सैपुराखालसा	50.000
						चौतराघाट	50.000
						योग-05	300.000
6	L-A 06/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना/ललितपुर	पठराई	रसोई	200.000
						किरोदा	50.000
						महोली	150.000
						पठराई	50.000
						दूधई	150.000
						डुगरिया	75.000
						बम्हौंरीबंशा	75.000
						योग-07	750.000
						ठगारी	50.000
						चन्देरा	150.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	L-A 07/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	कनपुरा	मामदा	50.000
						कैथोरा	125.000
						पडना	125.000
						योग-05	500.000
						कुल योग- 21	2000.000
8	L-A 08/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	गौना	गौना अ	150.000
						गौना ब	150.000
						अमझराघाटी अ	150.000
						अमझराघाटी ब	150.000
						डोंगरा	50.000
						बरौदिया राइन	50.000
						क्योलारी	50.000
						योग-07	750.000
9	L-A 09/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	नाराहट	नाराहट अ	250.000
						नाराहट ब	250.000
						नाराहट स	200.000
						योग-03	700.000
10	L-A 10/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	दौलतपुर	दौलतपुर	100.000
						डोंगरा खुर्द अ	350.000
						डोंगरा खुर्द ब	100.000
						दिगवार	150.000
						योग-04	700.000
11	L-A 11/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	गौना	पारौल	पारौल अ	250.000
						पारौल ब	200.000
						पारौल स	200.000
						पटना अ	100.000
						पटना ब	100.000
						योग-05	850.000
						कुल योग- 19	3000.000
12	L-A 12/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	पिसनारी	पिसनारी	350.000
						रजौला	150.000
						गोरा अ	300.000
						गोरा ब	100.000
						लिधोरा	100.000
						योग-05	1000.000
						धौरी	200.000
						सागर	100.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	L-A 13/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	धौरीसागर	कुर्रट	150.000
						लखन्जर	100.000
						जैतपुरा	50.000
						किशनपुरा	100.000
						योग-06	700.000
14	L-A 14/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	गौठरा	बारई	50.000
						गौठरा	100.000
						पापड़ा	50.000
						हीरापुर	50.000
						योग-04	250.000
15	L-A 15/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	सोल्दा	ढगरा	150.000
						उल्दना अ	250.000
						उल्दना ब	200.000
						गिरवर	50.000
						सकरा	300.000
						नयाखेरा	50.000
						ठनगना	100.000
						योग-07	1100.000
16	L-A 16/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	सौरई	सौरई अ	75.000
						सौरई ब	75.000
						जलंधर	75.000
						भौंती अ	300.000
						भौंती ब	75.000
						खैरपुरा	50.000
						बिरौदा	250.000
						योग-07	900.000
17	L-A 17/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	दिदौनिया	दिदौनिया	150.000
						मदनपुर	50.000
						अमौदा	150.000
						योग-03	350.000
18	L-A 18/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	नीमखेड़ा	नीमखेड़ा	300.000
						गोरा खुर्द	100.000
						पहाड़ीकलां	200.000
						योग-03	600.000
						टौरी	50.000
						टौरीखेड़ा	150.000
						हिलगन	150.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	L-A 19/2025-26	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	बम्होरी खुर्द	नयाखेरा	50.000	
						गनेशपुरा	50.000	
						बड़वार	50.000	
						गरौली	50.000	
						मानपुरा	50.000	
						योग-08	600.000	
						कुल योग- 43	5500.000	
					इकाई -19	फड़ की संख्या-101	12000.000	
		झाँसी प्रभाग का कुल योग						

कर्वी लौगिंग प्रभाग


तेन्दू पत्ता सीजन वर्ष 2025 (तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री) हेतु फड़ सूची का विवरण

क्र०सं०	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता विक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K-A 1/25	बोंदा	बोंदा	बोंदा	सड़ा	बहादुरपुर	50.000
						नौहाई	50.000
						आनन्दपुर	50.000
						नाथू का पुरवा	50.000
						चिल्लहा	50.000
						दुलरिया कुआ	50.000
						गोले का पुरवा	50.000
						भवानीपुर	100.000
						गड्डिडहा	50.000
						कटरा	100.000
						सकतपुर	50.000
						रगौली	50.000
						छितैनी	50.000
						गजपतिपुर	50.000
						प्रसिद्धपुर	50.000
						बल्देवपुरवा	50.000
					इकाई का योग-	16 फड़	900.000
2	K-A 2/25	बोंदा	बोंदा + चित्रकूट	बोंदा + कर्वी	कोल्हुवा	बरछा उडिया	50.000
						लगनहाई	100.000
						माधौताला	50.000
						गोबरी	100.000
						बघोलन	100.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
					इकाई का योग-	5 फड़	400.000
3	K-A 3/25	महोबा	महोबा	महोबा	बघौरा	बघौरा	50.000
						लडपुरा	50.000
						बछेछर	50.000
						इन्दौरा	50.000
					इकाई का योग-	4 फड़	200.000
अतर्रा सेक्शन का योग-						25 फड़	1500.000
4	K-A 20/25	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	भौरी	घरधना	200.000
						वंश रूप का पुरवा	200.000
						रमजूपुर	200.000
					इकाई का योग-	3 फड़	600.000
5	K-A 21/25	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	बगरेही	बगरेही	200.000
						गजटा	200.000
						ठीका/ चरदहा	50.000
						चर	100.000
						अरवारा अ	50.000
						लहरी /मदना	100.000
					इकाई का योग-	6 फड़	700.000
6	K-A 26/25	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	इटवा	महुलिया	200.000
						मोतीलाल पुरवा 2	100.000
						शिवबिहारी का पुरवा	150.000
						मोतीलाल का पुरवा 1	150.000
						हथराजी बैरिहा	200.000
						केशव का पुरवा	100.000
						मझपुरवा	100.000
						भगडा	100.000
						चमरूवापुरवा	100.000
						करौंदिहा	100.000
						माता प्रसाद पुरवा	100.000
						निविहाई	100.000
						इटवा	100.000
						घुनुवां	200.000
					इकाई का योग-	14 फड़	1800.000
रामनगर सेक्शन का योग-						23 फड़	3100.000
						गढ़वा	300.000
						गजरी	300.000

क्रम सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	K-A 28/25	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	गढवा	कोटराखामा	250.000
						चदई	150.000
						औरवा	100.000
					इकाई का योग-	5 फड़	1100.000
					बरगढ सेक्शन का योग-	5 फड़	1100.000
		कर्वी प्रभाग का कुल योग-			इकाई का कुल योग- 7	53 फड़	5700.000
					लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		17700.00
					प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग		14550.00
					प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग-		32250.00

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	कुल लाटों की संख्या	कुल इकाई की संख्या	कुल फड़ों की संख्या	वर्ष 2025 बिक्री हेतु अनुमानित उत्पादन मा०बो०
1	रेनुकूट	16	16	51	10100.00
2	मिर्जापुर	10	10	41	3400.00
3	प्रयागराज	2	2	10	1050.00
4	झांसी	19	19	101	12000.00
5	कर्वी	7	7	53	5700.00
	प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग-	54	54	256	32250.00


 महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक
 प्रयागराज

(5)

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
पत्रांक - 1913 / तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री / दिनांक- 3/12/2024
सेवा में,

मे० आर०डी०,
एडवरटाइजिंग प्रा० लि०,
257, चक, जीरो रोड-प्रयागराज।

विषय- वर्ष 2025 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 05.12.2024 को कम से कम स्थान में (Size 8cm*8cm=64 Sq Cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। -

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज
दूरभाष - +91532-2427536, ई-मेल-rmall@upfc.in

वर्ष 2025 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु
ई-निविदा सूचना का सारांश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025 सीजन हरे तेन्दूपत्ता लाटों की अग्रिम बिक्री किये जाने हेतु निम्न प्रकार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा चक्र	ऑन-लाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि	ऑन-लाइन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	ऑन-लाइन निविदा खोलने की तिथि
प्रथम	16.12.2024	18.12.2024	18.12.2024
द्वितीय	06.01.2025	08.01.2025	08.01.2025
तृतीय	29.01.2025	31.01.2025	31.01.2025
चतुर्थ	17.02.2025	19.02.2025	19.02.2025

आनलाईन ई-निविदा उक्त प्रारूप में दर्शित प्रारम्भ तिथि से 11.00 AM से प्रारम्भ होकर आनलाईन ई-निविदा प्रस्तुत किये जाने की उक्त प्रारूप में दर्शित अन्तिम तिथि को 3.30 PM बजे तक केवल उ०प्र० वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in में आनलाईन ई-निविदा दी जा सकती है। जो उक्त प्रारूप में दर्शित ई-निविदा के अन्तिम तिथि को सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेगी।

ई-निविदा हेतु वर्ष 2025 के लिये तेन्दूपत्ता के विनिर्माता/व्यापारी/क्रेताओं को उ०प्र० वन निगम के विक्रय प्रभाग, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी कार्यालय में अथवा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल www.upforestcorporation.co.in पर दिये गये प्रक्रिया के अनुसार ई-निविदा में भाग लेने हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु निविदा सूचना, लाट सूची तथा अन्य परिशिष्टों सहित उक्त प्रारूप में दर्शित प्रारम्भ तिथि से एक सप्ताह पूर्व केवल उत्तर प्रदेश वन निगम, की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय,

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

R.D.
4.12.24

उत्तर प्रदेश वन निगम

हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री नियम एवं शर्तें

1. उत्तर प्रदेश शासन के वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1807/14-2-29/83, दिनांक 07 अप्रैल 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19) की धारा-04 की उपधारा (1) सहपठित उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 3 (7) के अधीन उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को ऐसे समस्त जिलों में जहाँ पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ हो, तेन्दूपत्ते का कय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का "अभिकर्ता" नियुक्त किया गया है।
2. उ0प्र0 वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ते की अग्रिम बिक्री हरी अवस्था में ही कय करने के इच्छुक व्यक्तियों, पंजीकृत फर्मों, बीडी निर्माताओं से अग्रिम ई-निविदायें/प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर से मार्च तक आंमत्रित की जायेगी।
3. अग्रिम ई-निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की अधिकारिक वेबसाईट एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी, जो बिक्री शर्तों का भाग होंगी। अग्रिम ई-निविदा सूचना में निविदा की तिथि, निविदा डालने तथा खोलने का समय अंकित होगा। अग्रिम ई-निविदा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। किसी भी लौगिंग प्रभाग की किसी भी इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये निविदायें अग्रिम ई-निविदा पोर्टल में निर्धारित तिथि तक दी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अग्रिम ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री इकाईवार की जायेगी तथा प्रत्येक इकाई की अनुमानित उत्पादन की मात्रा निविदा सूचना के साथ संलग्न विक्रय सूची (संलग्नक-1) में दी जायेगी। विक्रय सूची एवं निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upfctendupatta.in/> पर भी उपलब्ध होगी।
5. इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा का तात्पर्य तेन्दूपत्ते की संग्रहण केन्द्रों (फड्डों) पर एकत्र की जाने वाली 'हरी पत्ती की मात्रा' से है। इच्छुक निविदादाता जिन इकाईयों के लिये अग्रिम ई-निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन इकाईयों का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें। निविदादाता के साथ तेन्दूपत्ता की अनुमानित उत्पादन मात्रा के लिये अनुबन्ध किया जायेगा। किसी इकाई में अग्रिम ई-निविदा सूचना में अनुमानित मात्रा के अनुसार ही विक्रय मूल्य उ0प्र0 वन निगम को देय है। यदि अनुमानित मात्रा से अधिक तेन्दू पत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को अधिक मात्रा का भी भुगतान इकाई के लिये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान कर कय करना होगा। यदि अनुमानित मात्रा से कम तेन्दू पत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को इकाई के लिए स्वीकृत दर पर वास्तविक उत्पादन के अनुरूप भुगतान करना होगा। अग्रिम ई-निविदा सूचना में दर्शित अनुमानित उत्पादन मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय या टंकण त्रुटि सुधारने का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम के पास सुरक्षित होगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को स्वीकार करना बाध्यकारी होगा।
6. अग्रिम ई-निविदा में प्रति मानक बोरा की दर से दी जायेगी। मानक बोरा से तात्पर्य तेन्दूपत्ता की एक हजार हरी गड्डियों तथा एक गड्डी में पचास तेन्दूपत्ती से है। प्रत्येक गड्डी में कम से कम 50 पत्ती बीड़ी बनाने योग्य होना अनिवार्य है।

7. (a) समस्त तेन्दूपत्ता क्रेताओं को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वन निगम के ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पैन कार्ड संख्या, जी0एस0टी0 संख्या, आधार संख्या, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल पता अनिवार्य रूप से कराना होगा तथा तेन्दूपत्ता ई-टेंडर पोर्टल पर पंजीकरण राशि रू0 30,000/- (Refundable) की धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक के गेटवे के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसी भी क्रेता द्वारा किया गया पंजीकरण कम से कम एक वर्ष के लिए होगा।

(b) एक ही लाट के लिये लाटरी पद्धति:- यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक ई-निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ऐसी दशा में उस लाट का निस्तारण लाटरी पद्धति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

8. बंधक धनराशि

किसी भी इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा के अनुसार निविदादाता को लाट में दी गई बोली (Offer Price) के अनुसार लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत बंधक धनराशि (EMD) के रूप में जमा करना होगा। क्रेता द्वारा जमा की गई बंधक धनराशि (EMD) के 10 गुना तक की धनराशि "कय क्षमता" (Purchasing Capacity) तथा क्रेता द्वारा कय क्षमता की धनराशि के 10 गुना तक की धनराशि पर "बोली की क्षमता" (Bidding Capacity) होगी। क्रेता को बंधक धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 (HDFC) खाते में ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा करानी होगी। बिना बंधक धनराशि के अग्रिम ई-निविदा स्वीकार नहीं होगी। अग्रिम ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर असफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि उनके के0वाई0सी0 खाते में वापस कर दी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि का समायोजन जमानत में किया जायेगा।

9. निविदा स्वीकृत की सूचना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही

a- उच्चतम बोली के सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति सक्षम स्तर से ऑनलाइन ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upfctendupatta.in/> वन निगम की अधिकारिक वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-मेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित की जायेगी।

b- (i) निविदा स्वीकृत की सूचना के प्रेषण की तिथि से 30 दिन के अन्दर सफल क्रेताओं को स्वीकृत की गई तेन्दूपत्ता की मात्रा हेतु कुल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत धनराशि/बैंक गारण्टी जमा करना होगा, जिसमें से 15 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से तथा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में निरूपित कर जमा करना होगा। बन्धक धनराशि का समायोजन 15 प्रतिशत की जमानत धनराशि में किया जायेगा।

(ii) यदि क्रेता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के स्थान पर अपने स्वयं अथवा फर्म के खाते का प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के नाम का दिनांक 30 जून का पोस्ट डेटेड चेक जोकि उ0प्र0 राज्य में स्थिति किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का हो, जमा कर निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारण्टी दिनांक 30.06.2025 तक क्रेता द्वारा बैंक गारण्टी जमा न करने पर चेक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर लिया जायेगा। यदि बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिया जाता है तो उस दशा में क्रेता द्वारा दिये गये अनुबन्ध का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में उ0प्र0 वन निगम नियमानुसार अग्रतर/विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई क्रेता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के स्थान पर प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा कर सकता है।

C- अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण पर बन्धक धनराशि अधिगृहीत कर ली जायेगी तथा क्रेता को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही एक निश्चित अवधि के लिये की जा सकेगी। ऐसी निरस्त लाटों की पुनर्बिक्री पर वन निगम को हुई हानि क्रेता को वहन करनी होगी। यदि ऐसी हानि की रकम बन्धक राशि से अधिक होने की स्थिति में क्रेता के द्वारा इस सम्बन्ध में मांग सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू-राजस्व की भौति वसूली योग्य होगी।

d- फडमुंशी का कमीशन : फडमुंशी द्वारा संग्रहण की गयी गड़्डियों का अभिलेखन संग्रहण पुस्तिका में किया जायेगा। क्रेता द्वारा कय की गयी इकाईयों की फडों से सम्बन्धित नियुक्त फडमुंशी के कमीशन की धनराशि का भुगतान वास्तविक उत्पादन के आधार पर वन निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। संग्रहण पूर्ण हो जाने के पश्चात् वास्तविक संग्रहण के अनुसार फडमुंशी के कमीशन की शुद्ध देय धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

e- (i) लाट हस्तांतरण:- यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगी। लाट हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई भी आवेदन संग्रहण अवधि (15 अप्रैल से 30 जून तक) में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के सम्बन्ध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरण ग्राही क्रेता सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय में लाट का अनुबन्ध निष्पादित नहीं कर देता है।

तेन्दूपत्ते का संग्रहण, प्रसंस्करण, हस्तान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण की प्रक्रिया

10. इकाईयों के अन्तर्गत निर्धारित संग्रहण केन्द्रों (फडों) पर फडमुंशी एवं इकाई अधिकारियों के माध्यम से संग्रहण का कार्य सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु पर्यवेक्षणीय दायित्वों एवं संग्रहण के समुचित क्रियान्वयन हेतु सेक्शन अधिकारी/इकाई अधिकारी की तैनाती प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।
11. तेन्दूपत्ता संग्रहण अवधि में संग्रहणकर्ताओं के पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।
12. अग्रिम बिक्री की गयी तेन्दूपत्ता इकाईयों में फड प्रारम्भ होने की तिथि से 05 दिन के संग्रहण मूल्य की धनराशि अथवा रु0 1,500.00 (रूपया एक हजार पाँच सौ) मात्र, जो भी कम हो, संग्रहणकर्ताओं को नकद धनराशि के रूप में सम्बन्धित क्रेता (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) की लिखित सहमति से क्रेता द्वारा स्वयं अपने स्तर से किया जायेगा, जिसका समायोजन ई-निविदा की शर्त संख्या-9 b (i) के अनुसार देय 10% जमानत की धनराशि में किया जायेगा। संग्रहणकर्ताओं को भुगतान की गयी नकद धनराशि का समायोजन 10% जमानत की धनराशि में किये जाने के उपरान्त भी यदि धनराशि शेष रह जाती है तो उस धनराशि का समायोजन देय प्रथम किश्त में किया जायेगा।

13. क्रेता संग्रहणकर्ताओं से फड़ पर तेन्दूपत्ता प्राप्त होने अथवा अगले दिन क्रेता द्वारा तेन्दूपत्ते का परिदान प्राप्त करने के उपरान्त संग्रहण राशि का भुगतान नकद रूप में उसी दिवस को संग्रहणकर्ता को करेगा।
14. क्रेताओं द्वारा संग्रहणकर्ताओं को भुगतान की गई नकद धनराशि का सत्यापन वन निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित फड़मुंशी, इकाई अधिकारी से कराकर प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के कार्यालय में जमा करना होगा।
15. संग्रहण सीजन में क्रेता को सम्बन्धित इकाई की फड़ों पर स्वयं या अपना प्रतिनिधि रखना होगा जो फड़ों पर आ रही तेन्दूपत्ता की हरी गड्डियों का निरीक्षण कर फड़मुंशी से संग्रहण अभिलेखों के अनुसार अगले दिन प्राप्ति स्वीकार करेगा। लाट में क्रेता को परिदत्त मात्रा को ही अन्तिम माना जायेगा।
16. क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार फड़मुंशी द्वारा कय की गई तेन्दूपत्ता मात्रा की प्राप्ति लेनी होगी एवं तेन्दूपत्ते के हस्तांतरण के तुरन्त बाद उसकी प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित फड़ मुंशी/इकाई अधिकारी को देनी होगी। फड़ पर आ रहे तेन्दूपत्ता गड्डियों में पत्ते की संख्या या गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई असहमति या विवाद होने पर उस पत्ते को अलग रखवा दिया जायेगा तथा उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, द्वारा अधिकृत अधिकारी के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण के उपरान्त उसका निर्णय अन्तिम व क्रेता को मान्य होगा।
17. तेन्दूपत्ता की फड़ पर सुखाई के दौरान उल्टाई, पल्टाई, उपचार एवं अन्य रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य स्वयं क्रेता को करवाने होंगे तथा उसका व्यय स्वयं वहन करना होगा।
18. तेन्दूपत्ता की कस्ती एवं बोरा भराई के लिये उपयुक्त बोरा, सुतली, तिरपाल आदि की व्यवस्था सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वयं की जायेगी। संग्रहण से पूर्व बोरों पर इकाई का नाम, संग्रहण वर्ष, फड़ का नाम, क्रेता का विवरण, बोरा क्रमांक इत्यादि विवरण उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्धारित स्टैन्सिल प्रारूप के अनुसार बोरों पर छपान कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य बोरों का प्रयोग वर्जित होगा।
19. तेन्दूपत्ता गड्डियों की बोरों में कस्ती के उपरान्त क्रेता द्वारा अपने व्यय पर वन निगम द्वारा पूर्व से निर्दिष्ट तेन्दूपत्ता गोदाम में ढुलान एवं भण्डारण कराना होगा।
20. फड़ से गोदाम तक ढुलान के लिये क्रेता द्वारा केवल उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्धारित रवन्ना प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा। संग्रहण/ढुलान एवं गोदाम में भण्डारण के दौरान तेन्दूपत्ता की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण दायित्व क्रेता का होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण/ढुलान एवं भण्डारण के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
21. गोदाम में तेन्दूपत्ते का भण्डारण क्रेता की अभिरक्षा, देख-रेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन सम्बन्धित प्रभागीय विकय प्रबन्धक के नियन्त्रण में रहेगा। क्रेता आवश्यकतानुसार पत्ती के अनुरक्षण/उपचार की कार्यवाही गोदाम अधिकारी की उपस्थिति में कराते रहेगें, जिसका व्यय भार क्रेता को ही वहन करना होगा।
22. तेन्दूपत्ता भण्डारण हेतु उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्दिष्ट गोदामों का किराया सम्बन्धित क्रेता/क्रेताओं द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रत्येक गोदाम पर क्रेता व वन निगम के संयुक्त ताला लगाया जायेगा।
23. गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा का बीमा कराया जाना अनिवार्य है एवं गोदाम का बीमा का व्यय सम्बन्धित क्रेताओं द्वारा वहन करना होगा। गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते एवं गोदाम की हुई किसी भी क्षति/जोखिम के लिये उ0प्र0 वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

तेन्दूपत्ते के क्रय मूल्य का भुगतान एवं निकासी

24. क्रेता को तेन्दूपत्ता की निकासी नियमानुसार गोदाम से ही दी जायेगी। निकासी लेने से पूर्व क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन देकर निकासी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
25. क्रेता को क्रय मूल्य का भुगतान समस्त देय करों सहित धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार चार बराबर किश्तों में जमा करना होगा:-
- | | | |
|---|---|-----------|
| अ- प्रथम किश्त | - | 5 अक्टूबर |
| ब- द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त के 45वें दिन) | - | 20 नवम्बर |
| स- तृतीय किश्त (द्वितीय किश्त के 45वें दिन) | - | 04 जनवरी |
| द- चतुर्थ किश्त (तृतीय किश्त के 45वें दिन) | - | 19 फरवरी |
- यदि क्रेता उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में किश्त की देय धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है।
26. यदि कोई क्रेता प्रथम किश्त की अवधि में ही उसके द्वारा क्रय की गई इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा ऐसी स्थिति में वह बोरों को छोटकर निकासी ले सकता है। किश्तों में भुगतान की स्थिति में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। क्रेता द्वारा अन्य किसी किश्त की देय तिथि से पूर्व लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की राशि का भुगतान जमा कर पत्ते की निकासी ली जा सकती है।
27. यदि क्रेता निर्धारित समय सीमा में देय मूल्य, कर एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो क्रेता देय विक्रय मूल्य पर 0.03 पैसा प्रति सैकड़ा प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क सहित देय धनराशि अनुबन्ध की समय सीमा तक जमा कर सकता है। इसके उपरान्त बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की बन्धक धनराशि, अन्य जमा धनराशि एवं अवशेष तेन्दूपत्ता की मात्रा, वन निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उ0प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।
28. प्रत्येक किश्त का कर सहित समस्त भुगतान करने की दशा में क्रेता उतने बोरों की निकासी ली जा सकती है।
29. किसी भी दशा में क्रेता को गोदाम से क्रेडिट निकासी नहीं दी जायेगी। गोदाम से निकासी लेने के लिये क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की लिखित अनुमति एवं निश्चित समय अवधि के लिये तेन्दूपत्ता विनियमन 1972 के अनुसार वन विभाग/वन निगम से निर्गत परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। इस निकासी अवधि की सीमा में ही गोदाम अधिकारी द्वारा तेन्दूपत्ता की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य दी जायेगी।
30. क्रेता द्वारा यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय-सीमा (आगामी 31 मार्च) तक लाट/इकाई का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की धनराशि जमा करने के पश्चात तेन्दूपत्ते की निकासी नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उस लाट/इकाई के तेन्दूपत्ता पर वन निगम का कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी प्रकार की देयता अवशेष होने की स्थिति में क्रेता के लिखित अनुरोध पर 30 दिनों की अवधि विस्तार हेतु सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की संस्तुतियों के साथ महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) को आवेदन-पत्र दे सकता है। क्रेता के लिखित आवेदन-पत्र पर

महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) अधिकतम 30 अप्रैल तक अवधि विस्तार दे सकते हैं, जिसके लिए 02 रू0 प्रति वार्षिक बोरा एवं जी0एस0टी0 शुल्क देय होगा। क्रेता द्वारा प्राप्त की गई निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व वन निगम का नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद किसी भी दशा में अवधि विस्तार देय नहीं होगा एवं लाट के विरुद्ध जमा समस्त धनराशि जब्त कर कथित लाट/इकाई की पत्ती की बिक्री करने के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम स्वतंत्र होगा। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक(तेन्दूपत्ता), उ0 प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना

31.

(अ) शर्त सं0 21 के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(ब) शर्त 27(अ) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वसूली हेतु प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी, परन्तु पुनर्बिक्री के उपरान्त कम मूल्य से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक धनराशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(स) यदि शर्त संख्या- 27(ब) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी आर्थिक हानि की वसूली एवं उस पर देय जी0एस0टी0 सहित क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

हानि की धनराशि = सम्बन्धित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित सम्भावित प्राप्तियाँ + पुनर्बिक्री तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय-आगामी निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियाँ - अधिहारित की गयी बन्धक/जमानत/प्रतिपूर्ति निक्षेप से प्राप्त राशि

(सम्बन्धित निविदा/नीलाम से यदि क्रेता चाहे तो कय मूल्य का 15 प्रतिशत की राशि बन्धक की धनराशि में सम्मिलित करते हुए जमा कर वसूली काली सूची में दर्ज होने सहित प्रकरण से सम्बन्धित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है।)

कर भार:-

32.

(अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं0 28 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।

33.

यह स्पष्ट किया जाता है कि उ0 प्र0 में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है, इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों

- के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा। साथ ही वन निगम के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संग्रहण से लेकर निस्तारण तक तेन्दूपत्ता जांच कर नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर क्रेता की आपत्ति मान्य नहीं होगी। जांच कार्यवाही में अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का वन निगम का पूर्ण अधिकार होगा।
34. किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
35. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि अनुबन्ध होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
36. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम लखनऊ के पास सुरक्षित होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
37. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित न्यायिक विवाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त बिक्री से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता हो।
38. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ "आर्बीट्रेटर" होंगे, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
39. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में समय-समय पर यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम अधिकृत होंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगम